

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राज. जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम. 24857/से.नि./जोन-जयपुर/2024/

दिनांक :

**आदेश**

निम्नलिखित कर्मचारियों को उपलब्ध रिकार्डनुसार उनकी जन्म तिथियों के आधार पर राज्य सेवा में 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख तिथियों से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क्र.स.	नाम कर्मचारी व पद	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	से.नि. तिथि
1.	श्री नन्दलाल सूरा, अति० प्रशा० अधिकारी	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिडावा, झुन्झुनू	02.10.1964	31.10.2024
2.	श्री हनुमान सिंह, वाहन चालक	अधीक्षक, जनाना अस्पताल जयपुर।	07.10.1964	31.10.2024
3.	श्री मूलचन्द मीणा, वाहन चालक	जिला प्रजनन शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम	15.08.1964	31.08.2024
4.	श्री छितरमल शर्मा, वाहन चालक	जिला प्रजनन शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम	03.07.1964	31.07.2024
5.	श्री चिरजी लाल महावर, स्वागतकर्ता	अधीक्षक, महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट, जयपुर	20.07.1964	31.07.2024

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध :-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लंबित नहीं हैं।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(राकेश कुमार शर्मा)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम. 24857/से.नि./जोन-जयपुर/2024/418

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम/झुन्झुनू।
4. अधीक्षक, महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट/जनाना चिकित्सालय, जयपुर।
5. जिला प्रजनन शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम।
6. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिडावा, झुन्झुनू।
7. डीपीसी, अराजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय।
8. सम्बन्धित कर्मचारी को सूचनार्थ।
9. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश का विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
10. आदेश/निजी पत्रावली।

दिनांक : 23/4/24

उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध यदि आडिट पैरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावे।

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

RajKaj Ref  
6711312



राजस्थान, जयपुर  
Digitally signed by Rakesh Kumar  
Sharma  
Designation : Director  
Date: 2024.04.22 20:00:00 IST  
Reason: Approved